



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर आबकारी अधिनियम में अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु0अ0सं0- 560/15 धारा-272 भा0द0सं0 व 60(2) आबकारी अधिनियम में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय अपर जिला जज-प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धर्मपाल पुत्र कडोरा लोधी निवासी कुल्हैडा, थाना मझगवां, जनपद हमीरपुर को धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध करते 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 / रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी
एडीजीसी विसम्भर पाल



विवेचक-
उ0नि0 अखिलेश
यादव



पैरोकार
थाना- मझगवां
का0 सर्वज्ञ यादव